



एफर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजेन्द्रकुमार वगैरा बनाम श्रीमती नानू वगैरा
अपील प्रकरण सं० 87/15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
21.12.15	अपीलांत के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोंडेंट सं० 1 नानूदेवी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 28-12-15 को पेश हो।	Rajendra Kumar
28.12.15	अभिवक्ता उभय पक्ष उपर। 21.12.15 को संव्य द्वारा प्रयात्न कार्य स्थगित किया हुआ है। रेस्पोंडेंट सं० 1 के अद. रज. स्थगन पत्र पर का जवाब पेश किया जाकर अपीलांत के अद. को दिखवाई गई। पत्रावली वास्तु बंदस स्थगन पत्र पर दि० 29.12.15 को पेश हो।	
29.12.15	अभिवक्ता उभय पक्ष उपर। 2 स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली वास्तु आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दि० 1-1-16 को पेश हो।	
1-1-16	अभिवक्ता उभय पक्ष उपर। स्थगन पत्र पर आदेश सुनकर शान्तिव सिंसय किया गया। मुताबिक आदेश स्थगन पत्र पर स्वारिज किया गया। रेस्पोंडेंट व रेकाइटेबल करें। पत्रावली 15-1-16 को पेश हो।	

29/8/18
 उच्च न्यायालय (पञ्जाब)
 कार्टे इन्सिम कार्टे इन्सिम
 डी 18/9/18 को पेश हो

18/9/18
 पीठासीन अधिकारी का कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारन के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21/10/18 को पेश हो।

31/10/18
 बार संघ को द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी को पेश हो। पत्रावली दिनांक 21/11/18 को पेश हो।

26/11/18
 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने को कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी को पेश हो। पत्रावली दिनांक 27/12/18 को पेश हो।

23/1/20
 पीठासीन अधिकारी अदालत में कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारन के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 23/1/20 को पेश हो।

I. V. News
 13/3/2020
 एसी - सधारण
 R7
 गा 2 डी
 सुज 224
 मा 11/15
 10/11/18

अपीलार्ची एवम रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिक्वेस्ट किया कि अपीलान्त अपील में पड़कारे का राजीनामा हो गया है और अपीलान्त एवम रेस्पोंडेंट अपील छोड़ने नहीं पसन्ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त द्वारा डायर करवाई जाये। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपीलान्त की एवम अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने रेस्पोंडेंट्स की पहचान भी गयी। अपीलान्त की अपील राजीनामा के आधार पर खारिज की जाती है। अपीलान्त की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजाया जाये एवम रिफॉर्ड लॉयाया जाके। पत्रावली फाइल शुभारंभ की जाकर नम्बर खेला जाये। अपीलान्त को भिजा जाये एवं वाड तहसील जिवा किल्लेखागा में जमा राकई जाके।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
 श्रीगंगानगर
 18/12/2020